सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 37 / प्रा0पत्र / 2025 दायरा दिनांक :—30.01.2025

1. शिवराम आ0 स्व0 कल्याण जाति रेगर निवासी बंधा का खेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2. सुखदेव आ0 स्व0 कल्याण जाति रेगर निवासी बंधा का खेडा तहसील हिण्डोली
3. सोहनी बाई पिता स्व0 कल्याण जाति रेगर निवासी बंधा का खेडा तहसील हिण्डोली

प्रार्थीगण

बनाम

1. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला—बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थीगण :— श्री रामेश्वर प्रसाद रेगर
वकील अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

दिनांक :— 30 / 05 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या नया 87 पुराना 85 की भूमि खसरा संख्या 57 रकबा 0.4452 हैक्टेयर, खसरा संख्या 58 रकबा 0.4452 हैक्टेयर, खसरा सख्या 59 रकबा 0.6961 हैक्टेयर, खसरा संख्या 60 रकबा 0.0486 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.6351 हैक्टेयर संयुक्त खातेदारी की भूमि वाके ग्राम बंधा का खेडा पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विरिथत है। जिसमें प्रार्थीगण के पिता का 1/7 हिस्सा निहित है। उपरोक्त भूमियों का पारिवारिक बंटवारा हो रहा है, प्रार्थीगण हिस्सेनुसार काबिज काश्त होकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है जो राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में प्रार्थी 1 व 2 के पिता एवं क्रम संख्या 3 के पति का नाम काल्या पुत्री गोरया अंकित हो रहा है। शेष खातेदार के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहने से कोई विरोधाभाष नहीं है। उपरोक्त कृषि भूमियों की जमाबंदी में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम सहवन से कल्याण पिता गोपी के स्थान पर काल्या पिता गोरया अंकित हो गया है। प्रार्थीगण अत्यन्त गरीब काश्तकार है, जो परिवार सहित उक्त

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

भूयिमों पर आश्रित है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में पिता पति का नाम काल्या पिता गोरया दर्ज होने से सरकार की योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। प्रार्थीगण उक्त भूमियों की हिस्सेनुसार लगान, पिलाई राज्य सरकार को अदा करते चले आ रहे है। कोई बकाया नहीं है, अगर फिर भी बकाया निकलता है तो अदा करने को तैयार है। प्रार्थीगण के पास उक्त भूमियों के सिवाय अन्य आय का कोई स्त्रोत नहीं है, राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में संहवन से पिता, पति का नाम कल्याण पिता गोपी के स्थान पर काल्या पिता गौरया अंकित हो गया है। स्व0 प्रार्थीगण के पिता कल्याण पुत्र गोपी के दो पुत्र एक बेवा पत्नी प्रार्थीगण है जो मौजूदा वैध वारिसान है। प्रार्थीगण दिनांक 23.09.2024 स्व0 पिता के स्थान पर फोती नामान्तकरण खुलाने हेतु पटवारी साहब के पास गये तो पता चला कि प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम कल्याण पिता गोपी के स्थान पर राजस्थान रिकॉर्ड की जमाबंदी के काल्या पिता गोरया अंकित हो रहा है जबकि सम्पूर्ण दस्तावेजों में प्रार्थीगण के पिता, पति का नाम कल्याण पिता गोपी अंकित हो रहा है, इसलिए काल्या पिता गोरया को दुरूस्त कर कल्याण पिता गोपी दर्ज करवाने बाबत प्रार्थीगण ने दिनांक 20.12.2024 को नकल प्राप्त कर श्रीमान तहसीलदार साहब हिण्डोली को भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा बाद न्यायालय आदेश के ही राजस्व रिकॉर्ड में काल्या पिता गोरया विलोपित कर उसके स्थान पर कल्याण पिता गोपी का नाम अंकित किये जाने को कहा, इसलिए प्रार्थीगण के पास उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के सिवाय अन्य कोई कानूनी विकल्प नहीं रहा है। प्रार्थीगण खातेदार कल्याण पिता गोपी के वैध वारिसान होने एवं काबिज आसामी होने से राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में बापी काल्या पिता गौरया को दुरूस्त करवाकर कल्याण पिता गोपी अंकित करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण के पिता, पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में काल्या पिता गोरया विलोपित कर कल्याण पिता गोपी अंकित नहीं किया गया तो अप्रार्थीगण को आर्थिक क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ से भी सम्भव नहीं हो सकेगी तथा प्रार्थीगण सरकारी कार्य योजनाओं के लाभ से सैदव के लिए वंचित हो जायेगी। प्रार्थीगण का उक्त पुश्तैनी भूमिया न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार श्रीमान को प्राप्त है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में अंकित प्रार्थीगण के पिता का नाम काल्या पिता गोरया को विलोपित कर उसके स्थान पर कल्याण पिता गोपी प्रविष्ठ किये जाने जाने आदेश अप्रार्थी को फरमाया जावे। तथा राजस्व रिकॉर्ड में पिता, पति काल्या वल्द गोरया के स्थान पर कल्याण वल्द गोपी अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रार्थीगण के पक्ष मे सुलभ हो प्रदान की जावे।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

प्रकरण में अप्रार्थी तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :– राजस्व/25/768 दिनांक :–08.04.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम बंधा का खेडा की भूमि खाता संख्या 87 में दर्ज अपने पिता के नाम काल्या पुत्र गोरया के स्थान पर कल्याण पुत्र गोपी शुद्ध करवाना चाहता है। जिसके संबंध में मजमा–ए–आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियो/मौतबिरान व्यक्तियों व सहखातेदारों द्वारा उक्त खाता नम्बर में दर्ज सहखातेदार काल्या पुत्र गोरया व कल्याण पुत्र गोपी दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है। जिनको काल्या पुत्र गोरया के स्थान पर कल्याण पुत्र गोपी शुद्ध दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण के पति व पिता का सही नाम कल्याण पुत्र गोपी है जिन्हे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं जवाब पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किए है जिनमें प्रार्थीगण के पति व पिता का नाम कल्याण पुत्र गोपी दर्ज है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम बंधा का खेडा पटवार मण्डल खेरखटा के खाता संख्या 87 में दर्ज सहखातेदार काल्या पुत्र

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

गोरया के स्थान पर कल्याण पुत्र गोपी शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरींर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 30.05.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

30/05/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली